निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 408) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
3 मार्च 2021

lE 5 u0fo0@xBu&48@2020&956/u0fo0,oavk0fo0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले लखीसराय जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4337 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, सूर्यगढ़ा का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् सूर्यगढ़ा	सुर्यपुरा–19 जकड़पुरा–18 मानुचक–03 सलेमपुर–16 गोपालपुर–27 शेरपुर–20 कटेहर–21 हल्दी–22	सूर्यपुरा, जकड़पुरा एवं पश्चिमी सलेमपुर (पूर्ण भाग) एवं गोपालपुर (आंशिक भाग)	उत्तर–हरूहर नदी दक्षिण–पुर्वी सलेमपुर–16 पूरब–नदौरा एवं नन्दपुर–26, 24 पश्चिम–टोरलपुर–02	43108

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद सूर्यगढ़ा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj ds la;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 408-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in